Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष :अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 1, श्री किरेन रिजीजू जी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 57 के अंतर्गत भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण नियम, 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10058/17/23]

(2) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3508(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्यों और विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यों से मिलकर बनी अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरणीय संरक्षण समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10059/17/23]

(3) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3509(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2023 के सातवें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10060/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 586(अ) जो 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और रिया गणराज्य से उद्‌भूत या वहां से निर्यातित डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) अधिरोपित करना है।

(दो) सा.का.नि. 634(अ) जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया से ?फिशिंग नेट? के आयात पर 28 अगस्त, 2028 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क उद्‌ग्रहित करना है।

(तीन) सा.का.नि. 661(अ) जो 11 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्‌भूत या वहां से निर्यातित ?फ्लैट बेस स्टील व्हील्स? के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. 46/2018- सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित किया गया था, का विस्तार करना है।

[Placed in Library, See No. LT10061/17/23]

(2) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 616(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 50 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ प्याज (एचएस कोड 0703 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 628(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ चावल, आंशिक रूप से उबले हुए (एचएस कोड 1006 30 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10062/17/23]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 617(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्याज (एचएस कोड 0703 10) के निर्यात पर 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू रहेगी।

(दो) सा.का.नि. 629(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 643(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 653(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 656(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10063/17/23]

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 600(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 601 (अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 646(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 647(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10064/17/23]

(5) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10065/17/23]

____

-